



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226799
CG-DL-E-30042021-226799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943

No. 1598]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

का.आ. 1722(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 2 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा है;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3548(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 21 अक्टूबर, 2020 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार करने की अपेक्षा करता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, 21 अप्रैल, 2021 से प्रभावी छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा.सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2021

S.O. 1722(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 21st October, 2020 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3548 (E), dated the 12th October, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 21st April, 2021.

[F.No. S-11017 / 5 / 97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy,